

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिला बून्दी(राज0)

वाद-पत्र संख्या :-33 / 2015

दायर दिनांक: 15.04.2015

GCMS NO:- 2015/00164

पीठासीन अधिकारी :-श्योराम (आर.ए.एस.)

राजस्थान सरकार जयें भूमिधारी तहसीलदार नैनवाँ

- वादी

बनाम

1. श्री प्रधान मदनमोहन पि0 रामप्रसाद धाकड निवासी बालापुरा
2. श्री अनिल कुमार पुत्र मोहनलाल महाजन निवासी नैनवाँ
3. श्री दीपक कुमार आ0 बाबूलाल महाजन निवासी नैनवाँ
4. श्री आविद अली आ0 बाबूअली निवासी नैनवाँ
5. श्री मुकेश कुमार आ0 कमल कुमार महाजन निवासी नैनवाँ

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 60 एल आर एक्ट एवं 131,136 एल.आर एक्ट 1956

उपस्थिति:-

वादी की ओर से पैरोकार सरकार तहसीलदार नैनवाँ।
प्रतिवादी के अभिभाषक श्री देवेन्द्र कुमार जैन।

निर्णय दिनांक 14.09.2021

संक्षेप में वाद का कथन इस प्रकार है कि ग्राम/कस्बा छोटी पडाप में भूमि खसरा संख्या 110/376 रकबा 7 बीघा भूमि स्थित है। यह कि उक्त भूमि दिनांक 1.12.1983 को आवंटी मांगे खां आ0 रुस्तम खां निवासी नैनवाँ को आवंटित हुई थी। इस भूमि के वर्तमान खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 है। यह कि आवंटित भूमि खसरा सं0 110/1 रकबा 7 बीघा की तरमीम आईएलआर द्वारा की गई है। यह कि उक्त तरमीम आवंटन आदेशों के विपरीत सडक के किनारे की गई है। उक्त तरमीम आवंटन आदेशों में अंकित कब्जा रिपोर्ट के विपरीत की गई है। यह कि उक्त तरमीम आवंटन आदेश के विपरीत सडक के समीप होने के कारण निरस्तनीय है। यह तरमीम कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 4(v) च के विरुद्ध है अतः कृपया ग्राम/कस्बा नैनवाँ प्रथम की भूमि खसरा सं. 110/1 रकबा 7 बीघा में की गई तरमीम निरस्त करने के आदेश फरमावे। वादी ने अपने वाद के समर्थन में जमाबन्दीयां, नकल नक्शा ट्रेस, गिरदावरी की नकल एवं नामान्तकरण पंजिका की फोटोप्रति आदि पेश किये।

वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सुनवाई हेतु तलब किया गया। आदेशिका दिनांक 27.09.2017 में इस वाद पत्र को प्रार्थना पत्र के रूप में सुने जाने के आदेश दिये गए। अप्रार्थी संख्या 2, 4 लगायत 5 ने अपने जवाब दावा में निवेदन किया कि तरमीम आवंटन आदेशों के मुताबिक जारी कब्जा रिपोर्ट के अनुरूप ही की गई है। भूमि आवंटन नियम 1970 के मुताबिक आवंटित कर उसकी नियमानुसार तरमीम सडक से निर्धारित दूरी पर की गई है। अपने जवाब के समर्थन में प्रतिवादी ने शपथ-पत्र, प्रार्थना पत्र वास्ते काश्त हेतु नई जमीन दी जाने हेतु आवेदन पत्र, नकल नक्शा ट्रेस, बयान गवाह आदि पेश किये। वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त दावा पेश करते समय वादी द्वारा विभिन्न सीपीसी नियमों की पालना नहीं की है। आदेश 04 नियम 1 के अनुसार वादी को अपना वाद पत्र नियमानुसार दो प्रतियों में पेश करना आवश्यक है। आदेश 07 नियम 11 ई के अनुसार वादी द्वारा वाद दो प्रतियों में पेश नहीं किया जाता है तो वाद खारिज किया जायेगा। आदेश 6 नियम 15 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार वादी ने वाद का सत्यापन नहीं किया है, जिससे भी वाद खारिज होने

योग्य है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं किये है, जिससे वादी का वाद सिद्ध नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है।

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

K. S. S.
उपखण्ड अधिकारी
नैनवा (मुन्दी)